

एनआईपीएचएम में एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला संपन्न



अधिक से अधिक करना चाहिए।

अतिथि वक्ता मो. कमलालुद्दीन ने कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को राजभाषा नीति, राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की दिशा एवं दिशाएँ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जिम्मेदारियाँ, वार्षिक कार्यक्रम, अनुच्छेद, धारा 3(3) के तहत आने वाले सभी दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

अवसर पर संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. निर्माली साईकिया (प्रभारी निदेशक, पीएमडी), डॉ. ओपी शर्मा (संयुक्त निदेशक, कृषि), एन. मुरली मोहन (वित्त-सलाहकार), डॉ. ए.जी. गिरीश (उप-निदेशक, पीपी), डॉ. एम. जयादेवी (उप निदेशक, रसायन), शेख लियाकत अली अहमद (सहायक निदेशक, आईसीटी) एवं अन्य उपस्थित थे। संस्थान के हिन्दी अनुवादक राठौड़ मोहन नारायण ने कार्यक्रम का संचालन किया।

हैदराबाद, 28 फरवरी
(मिलाप ब्यूरो)

राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएचएम), हैदराबाद में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एकदिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

आज यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कार्यशाला के आरंभ में संस्थान के हिन्दी अधिकारी विजय कुमार साव ने मंचस्थ अधिकारी डॉ.

एलिस आर.पी. सुजिता (निदेशक, पीबीडी), डॉ. विधु काम्पुरत (संयुक्त निदेशक एवं प्रभारी रजिस्ट्रार, एनआईपीएचएम), अतिथि वक्ता मो. कमलालुद्दीन (प्रभारी सहायक निदेशक, रा.भा., वेंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप-संस्थान, राजभाषा विभाग, विशाखापट्टनम) एवं अन्य अधिकारियों का स्वागत किया।

निदेशक डॉ. एलिस आर.पी. सुजिता ने कहा कि कर्मचारियों को

हिन्दी कार्यशाला में भाग लेना चाहिए, ताकि उन्हें हिन्दी में कार्य करने में जो कठिनाईयाँ आ रही हैं, उसका निराकरण किया जा सके। हम सभी की यह संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अधिक से अधिक कार्यालयीन कामकाज हिन्दी में करें, जिससे संस्थान में हिन्दी को अधिक बढ़ावा दिया जा सके।

डॉ. विधु काम्पुरत ने कहा कि संस्थान एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान

है। यह सराहनीय है कि एनआईपीएचएम संस्थान भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा 'ग' क्षेत्र हेतु निर्धारित लक्ष्यों से अधिक है। कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी का उपयोग करने हेतु कर्मचारियों के लिए दो बैचों में हिन्दी कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिससे वे हिन्दी में आसानी से कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को दैनिक सरकारी कामकाज में हिन्दी का उपयोग